निविदा सूचना

स्वास्थ्य से संबंधित व अन्य विभिन्न विषयों तथा मंत्रालय की वेबसाइट का अनुवाद कार्य, विशेष रूप से अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने के लिए स्वास्थ्य एट परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रस्तावित पैनल (दो वर्ष के लिए) में शामिल किए जाने के लिए अनुवाद एजेंसियों / फर्मों से निविदाएं आंमत्रित की जाती हैं (व्यक्ति विशेष द्वारा आवेदन न किया जाए)।

- 2. निविदा दोहरी बोली अर्थात् तकनीकी बोली (अनुलग्नक-II) और वित्तीय बोली (अनुलग्नक-III) के आधार पर प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है जो हर दृष्टि से पूर्ण हों और अलग-अलग मोहरबंद लिफाफों में डाली जाएं जिन पर "तकनीकी बोली" तथा "वित्तीय बोली" अलग-अलग अंकित किया जाए। इन दोनों लिफाफों को एक अलग लिफाफे में डालकर बंद किया जाना चाहिए जिस पर "हिंदी अनुवाद कार्य के लिए कोटेशन" लिखा हो। मोहरबंद कोटेशन इस विभाग में 2,000/- रुपए की बयाना राशि के डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर चेक सिहत श्रीमती नीहारिका सिंह, संयुक्त निदेशक (राजभाषा), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रानय, कमरा नं.754, 'ए' विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली में 08 सितंबर, 2017 को अपराहन 2.00 बजे तक पहुंच जानी चाहिए। कोटेशनों को उसी दिन निविदाकारों की उपस्थित में अपराहन 3.00 बजे खोला जाएगा। निविदाकार्त या उनके प्रतिनिधि उस दौरान उपस्थित रह सकते हैं।
- 3. पैनल में अंतिम रूप से शामिल सभी सफल निविदाकर्ताओं को एल1 दर (नूयनतम दर) पर अनुवाद तथा अन्य कार्य, जिनका निविदा सूचना में उल्लेख किया गया है, पर अनुलग्नक-। के रूप में संलग्न निबंधन और शर्तों पर कार्य करने हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ अनुबंध करना होगा।
- 4. निविदा सूचना और विस्तृत निबंधन एंव शर्ते (अनुलग्नक-I) तथा अन्य अनुलग्नक-II से IV एवं खंड 2, को मंत्रालय की वेबसाइट www.mohfw.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

(नीहारिका सिंह)

संयुक्त निदेशक (रा.भा.) दूरभाष: 2306 0162

प्रतिलिपि:

एनआईसी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि निविदा सूचना तथा निबंधन एवं शर्ती (अनुलग्नक-।) और अनुलग्नक । से ।V, खंड 2 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।

सामान्य निबंधन एवं शर्ते

- 1. प्रस्तावित पैनल में शामिल होने की इच्छुक अनुवाद एजेंसियों / फर्मों का चयन इस उद्देश्य के लिए गठित मूल्यांकन समिति द्वारा अपेक्षित जांच के आधार पर किया जाएगा।
- 2. एजेंसियों/फर्मों को अपनी कोटेशनों के साथ अनुवाद सेवाएं प्रदान करने का सबूत/प्रमाण तथा अन्य मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि के साथ हुए पत्र-व्यवहार (जैसे कार्यादेश, टीडीएस कटौती प्रमाण-पत्र, कार्य समाप्ति प्रमाण-पत्र, आदि) संलग्न करना होगा। संगत दस्तावेज के बिना प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 3. सौंपे गए कार्य का अंग्रेजी से हिंदी या हिंदी से अंग्रेजी में तुरंत सटीक अनुवाद करके यूनिकोड समर्थित फोंट नामत: मंगल या एमएस यूनिकोड फोंट या जैसािक संगत प्राधिकारी द्वारा निर्देश दिया जाए, में टाइप करके ई-मेल द्वारा भेजना होगा। चूंिक सौंपा गया कार्य समयबद्ध होगा, अत: दी गई समय-सीमा पर कार्य को पूरी गुणवत्ता के साथ अनुवाद, टाइप और पुनरीक्षा (वेटिंग) करके भेजना अपेक्षित होगा। तदुपरांत अनुवाद की गुणवत्ता और सटीकता की विभाग द्वारा जांच की जाएगी। संशोधन, यदि कोई हो, को एजेंसी/फर्म द्वारा अपने स्वयं के व्यय पर कराना होगा। संशोधन के लिए कोई भुगतान / क्षतिपूर्ति आदि नहीं की जाएगी।
- 4. चयनित एजेंसी / फर्म अपने परिसर से कार्य करेगी। एजेंसी/फर्म द्वारा निविदा कार्य के लिए अपेक्षित सभी जनशक्ति/ उपकरण/ हार्डवेयर/ सॉफ्टवेयर आदि की व्यवस्था अपने खर्च पर की जाएगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय अनुवाद कार्य के लिए कोई कार्यालय स्थल, कंप्यूटर, इंटरनेट, दूरभाष, आदि उपलब्ध नहीं कराएगा। इस प्रयोजन के लिए मंत्रालय कोई लेखन-सामग्री, कागज, पेपर, सीडी आदि उपलब्ध नहीं कराएगा।
- 5. दिया जाने वाला अनुवाद कार्य, तकनीकी / गैर-तकनीकी सामग्री, रिपोर्ट, भाषण इत्यादि किसी भी प्रकृति का हो सकता है।
- 6. निविदा में अनुवाद प्रभार (जिसमें अनुवाद, पुनरीक्षण, टंकण, प्रूफ रीडिंग प्रभार एवं समस्त कर शामिल हैं) को प्रति शब्द उद्धृत किया जाएगा। सहमत अनुवाद प्रभार के अलावा कार्य से संबंधित किसी कार्यकलाप/दौरे के लिए अन्य कोई भुगतान, जो कोई भी हो, नहीं दिया जाएगा।
- 7. **भुगतान: भुगतान दी ग**ई सामग्री की प्रतिशब्द स्वीकृति दर, वर्ड प्रोसेसर के अनुसार गणना किए गए शब्दों की संख्या के आधार पर किया जाएगा।
- 8. कार्य की अवधि -
 - 8.1 अनुवाद कार्य ई-मेल या हार्ड कॉपी के जिरए कार्यालय समय के बाद भी दिया जा सकता है जिसे निर्धारित समयाविध में सटीकता के साथ तत्काल आधार पर पूरा करना होगा।